

इंटरनेशनल बगि कैट एलायंस

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बगि कैट अलायंस (IBCA) में शामिल हो गया है जिसे वर्ष 2023 में बड़ी बलिलियों एवं उनके अधवासों की रक्षा करने हेतु शुरू किया गया था।

नोट:

- यद्यपि भारत ने एक वैश्विक संस्था के रूप में इंटरनेशनल बगि कैट एलायंस (IBCA) की शुरुआत की, फिर भी इसे इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर के साथ इसका अनुसमर्थन करना होगा जैसा कि इसने अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों एवं संस्थाओं जैसे [मेरिसि समझौता](#), [जैवविविधता पर कन्वेंशन \(CBD\)](#) और [शंघाई सहयोग संगठन \(SCO\)](#) के साथ किया है।

इंटरनेशनल बगि कैट एलायंस (IBCA) क्या है?

- परिचय:**
 - इंटरनेशनल बगि कैट एलायंस (IBCA) 96 बगि कैट रेंज देशों और गैर-रेंज देशों का एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य 7 बगि कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना है।
 - यह विचार पहली बार भारत के [प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019](#) में प्रस्तावित किया गया था और आधिकारिक तौर पर [इसे प्रोजेक्ट टाइगर](#) की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था।
- उद्देश्य:**
 - सात बड़ी बलिली प्रजातियों से संबंधित [अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकना](#)।
 - इन सात बड़ी बलिलियों के [प्राकृतिक आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देना](#)।
 - संरक्षण एवं सुरक्षा प्रयासों के कार्यान्वयन को समर्थन देने के लिये [वित्तीय एवं तकनीकी संसाधन जुटाना](#)।
 - [जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की दशा में कार्य करना](#)।
 - उन नीतितगत पहलों की वकालत करना जो [जैवविविधता संरक्षण प्रयासों को स्थानीय आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के साथ](#) सदस्य देशों में [संयुक्त राष्ट्र](#) द्वारा निर्धारित [सतत विकास लक्ष्यों](#) की प्राप्ति में सहायक हों।
- फोकस प्रजातियाँ:**
 - यह पहल सात बड़ी बलिली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है : [बाघ](#), [शेर](#), [तेंदुआ](#), [हमि तेंदुआ](#), [चीता](#), [जगुआर](#) और [प्यूमा](#)।
 - इनमें से पाँच - [बाघ](#), [शेर](#), [तेंदुआ](#), [हमि तेंदुआ](#) और [चीता](#) - भारत में पाए जाते हैं, प्यूमा और जगुआर को छोड़कर।
- सदस्य देश:**
 - वर्तमान में 4 देश ([भारत](#), [नकारागुआ](#), [एस्वातर्नी](#) और [सोमालिया](#)) इसके सदस्य हैं।
- बजटीय आवंटन:**
 - [केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक](#) पाँच वर्षों के लिये IBCA हेतु [150 करोड़ रुपये](#) की एकमुश्त बजटीय सहायता आवंटित की है।
- शासन संरचना:**
 - इसमें [सदस्यों की एक सभा](#), एक [स्थायी समिति](#) और [भारत स्थित एक सचिवालय](#) शामिल है।
 - यह [रूपरेखा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन \(ISA\)](#) के अनुरूप बनाई गई है जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा महानदेशक (DG) की नयुक्ति की जाती है।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों (Big Cat) की प्रजातियों और उनके आवासों का संरक्षण करना है।

लॉन्च किया गया
भारत (2023)

मुख्यालय
भारत

सदस्य देश

96 देश

संरचना

इसमें सदस्यों की सभा, स्थायी समिति और उनके सचिवालय शामिल हैं



कार्य

- ⊕ बड़ी बिल्लियों (बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, प्यूमा, जगुआर और चीता) का भविष्य सुरक्षित करना
- ⊕ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना
- ⊕ नीतिगत पहलों का समर्थन करना
- ⊕ संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना

बड़ी बिल्लियों को खतरा

- ⊕ अवैध शिकार से
- ⊕ पर्यावास हानि और विखंडन से
- ⊕ मानव-तेंदुआ संघर्ष से
- ⊕ जलवायु परिवर्तन और निर्वनीकरण से

बड़ी बिल्लियों की संरक्षण स्थिति

प्रजातियाँ	वैज्ञानिक नाम	IUCN लाल सूची	स्थल	भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
बाघ	पैंथेरा टाइग्रिस	संकटग्रस्त	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
शेर	पैंथेरा लियो	असुरक्षित	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
तेंदुए	पैंथेरा पार्डस	असुरक्षित	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
हिम तेंदुए	पैंथेरा अन्सिया	असुरक्षित	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
प्यूमा	प्यूमा कॉनकलर	कम चिंतनीय	परिशिष्ट-II (P. c. कोस्टारिकेंसिस (Costaricensis) और कूगर (Cougar): परिशिष्ट-I)	NA
जगुआर	पैंथेरा ओंका	निकट संकटग्रस्त	परिशिष्ट-I	NA
चीता	एसिनोनिक्स जुबेटस	असुरक्षित	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I

भारत में अन्य संरक्षण प्रयास

- प्रोजेक्ट टाइगर (वर्ष 1973)
- एशियाई शेर पुनःप्रवेश परियोजना (वर्ष 2004)
- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (वर्ष 2009)
- प्रोजेक्ट चीता (वर्ष 2022)



Drishti IAS

बड़ी बिल्लियाँ क्या हैं?

- बड़ी बलिलियों से तात्पर्य **बड़ी जंगली बलिली प्रजातियों** से है, जो आमतौर पर [\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]](#) वंश से संबंधित होती हैं, हालांकि कुछ अन्य प्रजातियाँ भी इसमें शामिल हैं।
 - [\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]](#) जीनस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- **प्रमुख बट्टे:**
 - शेर एकमात्र ऐसी बड़ी बलिली प्रजातियों से संबंधित है जो सामाजिक समूहों में रहने के साथ सामूहिक रूप से शिकार करते हैं। शावकों वाली माताओं को छोड़कर अन्य बड़ी बलिलियाँ एकाकी होती हैं।
 - साइबेरियाई बाघ (जो कि बड़ी बलिली प्रजातियों में सबसे बड़ा है) ट्रॉफी शिकार और चीन की पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के चलते खतरे में है।
 - बड़ी बलिलियाँ ऐसी प्रमुख प्रजातियाँ हैं जो पारस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य हेतु महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं लेकिन अवैध शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार और आवास की कृषत के कारण इन पर खतरा बढ़ता जा रहा है।
 - भारतीय उपमहाद्वीप ऐतिहासिक रूप से बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, भारतीय तेंदुआ, भारतीय/एशियाई चीता और हमि तेंदुए का आवास स्थल है।
 - वर्ष 1952 में भारत में चीता को वलुप्त घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2022 में सरकार ने मध्य प्रदेश के [कुनो राष्ट्रीय उद्यान](#) में अफ्रीकी चीतों को फरि से लाने की महत्त्वाकांक्षी पहल शुरू की थी।

भारत में बड़ी बलिलियों के संरक्षण के प्रयास

- [प्रोजेक्ट लायन](#)
- [प्रोजेक्ट तेंदुआ](#)
- [प्रोजेक्ट चीता](#)
- चीता पुनः वापसी परियोजना
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- [हमि तेंदुआ संरक्षण](#)

और पढ़ें: [कुनो नेशनल पार्क में चीता शावक](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित् वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रलिमिस:

प्रश्न: नमिनलखिति पर वचिार कीजयि: (2012)

1. काली गर्दन वाला सारस (कृष्णाग्रीव सारस)
2. चीता
3. उड़न गलिहरी (कंदली)
4. हमि तेंदुआ

उपर्युक्त में से कौन-से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)